न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : उम्मेदसिंह रतनू, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 19/2022

प्रार्थी –

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. आलमचन्द पुत्र किशनलाल जाति जैन निवासी होली चौक के पास धोरीमन्ना जिला बाड़मेर (मैसर्स विमल ट्रेडिंग क0 मुख्य बाजार धोरीमन्ना जिला बाड़मेर का मैनेजर)
2. मांगीलाल पुत्र किशनलाल जाति जैन निवासी होली चौक के पास धोरीमन्ना जिला बाड़मेर (मैसर्स विमल ट्रेडिंग क0 मुख्य बाजार धोरीमन्ना जिला बाड़मेर का मालिक)
3. दिलीप कुमार चोपड़ा प्रोप्रोईटर ऑफ मैसर्स अरिहन्त एजेन्सी बस स्टेण्ड बालेसर शेरगढ जोधपुर
4. मुकेश पारीक प्रोप्राईटर ऑफ मैसर्स मारूती फूड प्रोडक्ट जे आर एग्रो के पास रीको इण्डस्ट्रीयल ऐरिया नोखा बीकानेर
5. विनोद राजपुरोहित मैसर्स राजपुरोहित डेयरी भोपा बस्ती के पास लाडपुरा रोड घुघरा अजमेर का भागीदार
6. मनोहर सिंह मैसर्स राजपुरोहित डेयरी भोपा बस्ती के पास लाडपुरा रोड घुघरा अजमेर का भागीदार

<u>परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 एवं 59</u>

<u>खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006</u>

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री काछबाराम खोथ, अधिवक्ता अप्रार्थी नं. 2 व 6 की ओर से उपस्थित।
3. श्री नरपतसिंह चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी नं. 3 से 5 की ओर से उपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:07:33 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

आदेश

दिनांक : 18.07.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 एवं 59 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिष्ठान **मैसर्स विमल ट्रेडिंग क0 मुख्य बाजार धोरीमन्ना जिला बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **24.01.2022** को टीन पैकिंग में 15 किलो भरा हुआ खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड ताकत (15 किलो टीन को खोलकर)**, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 800 एमएल वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1483** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड ताकत (15 किलो टीन को खोलकर)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड ताकत (15 किलो टीन को खोलकर)** का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 एवं 59 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्तागण उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण का कोई बड़ा व्यापार नहीं है, वे केवल रिटेलर हैं। उनके द्वारा किसी मिलावटी वस्तु का संग्रहण व बेचान नहीं किया गया है तथा न ही उनके द्वारा किसी प्रकार की पैकेजिंग का कार्य किया जाता है। उनका यह प्रथम अपराध होने से नरम रूख अपनाते हुए क्षमा प्रदान करने का आदेश फरमावें। अप्रार्थी संख्या 3 से 6 को सुनवाई के प्रत्येक स्तर पर जवाब का समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलो[illegible] एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। [illegible] अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत [illegible] खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदा[illegible] के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:07:33 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

माना गया है। अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **24.01.2022** में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया। प्रयोगशाला जांच में **Test for foreign fat** का मानक स्तर Absent के मुकाबले Present पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं होने के साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय का निषेध एवं प्रतिबंध) विनियम 2011 के विनियम 2.3.7(2) का भी उल्लंघन है। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब/उजर प्रकट नहीं किया। इस न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह उनका प्रथम अपराध है लिहाजा उनके विरूद्ध नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावे। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा उनके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवता व मानकता के प्रति उनके दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिष्ठान से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। अप्रार्थी संख्या 3 से 6 को सुनवाई के प्रत्येक स्तर पर जवाब का समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाना इस जुर्म की विवक्षित जुर्म स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 एवं 59 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पर संयुक्त रूप से **रूपये** 1,00,000/- तथा अप्रार्थी संख्या 3 से 6 पर संयुक्त रूप से **रूपये** 4,50,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 18.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:07:33 IST
Reason: SelfAttested

(उम्मेदसिंह रतनू)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर